

प्रेषक,

आर० रमणी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सनस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8

लखनऊ दिनांक 02 मार्च 2006

विषय: शासकीय निर्माण कार्यों का सम्पादन।

महोदय,

शासकीय निर्माण कार्यों के सम्पादन के संबंध में नीति संबंधी शासनादेश संख्या-ई-8-215/दस-1998 दिनांक 09 मार्च 1998 जारी किया गया था और निर्माण एजेन्सी के चयन हेतु विशिष्ट व्यवस्था निर्धारित की गयी थी। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इस प्रकरण पर पुनर्विचार किया गया और कार्यहित में उक्त शासनादेश के क्रम में निम्नलिखित संशोधन करने का निर्णय लिया गया है:-

शासकीय निर्माण कार्य हेतु निर्माण एजेन्सी का चयन

1- (अ) मानकीकृत कार्य

(क) रू० 10.00 करोड़ तक के भवन निर्माण कार्य किसी भी राजकीय निर्माण एजेन्सी से निक्षेप कार्य के रूप में कराये जा सकते हैं।

(ख) रू० 10.00 करोड़ से अधिक लागत के भवन लोक निर्माण विभाग, उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम, कन्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (जल निगम) तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा ही निक्षेप कार्य के रूप में सम्पादित कराये जायेंगे।

(ब) गैर मानकीकृत कार्य

(क) रू० 2.50 करोड़ तक की लागत के भवन निर्माण कार्य किसी भी राजकीय निर्माण एजेन्सी से निक्षेप कार्य के रूप में कराये जा सकते हैं।

(ख) रू० 2.50 करोड़ से अधिक लागत के भवन निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग, उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम, कन्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (जल निगम) तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा ही निक्षेप कार्य के रूप में सम्पादित कराये जायेंगे।

2- किसी भी प्रशासनिक किन्ग की विभागीय एजेन्सी अपने विभाग के कार्यों को किसी सीमा तक कर सकने के लिए सक्षम होगी।

3- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-6 के पैरा 318 में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति आवश्यक है जो इस बात की गारण्टी है कि प्रस्ताव संरचनात्मक दृष्टि से (Structural aspect) से ठोस (sound) है और आगणन सही तैयार किये गये हैं। तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के अधिकार राज्य सरकार के अभियन्त्रण विभागों के अधिकारियों के अलावा उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम, उ० प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम तथा कन्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, जल निगम को प्राप्त है। इनके अतिरिक्त डिजाइन्ड कार्य के

रूप में राजकीय निर्माण कार्यों के लिए लक्ष्मीकी प्रतिस्ती के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रावधानों को लागू किया जाता है।

- 4- राजकीय निर्माण एजेन्सियों के द्वारा कार्य किए जाने वाले पूर्ण रूप से राजकीय निर्माण कार्यों को उनके द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार समायोजित प्रणाली में कार्य का निर्माण सुनिश्चित किया जायेगा, जिससे कार्ट ओवर-रन/टाइम ओवर-रन न हो तथा निर्माण कार्य की अपेक्षित गुणवत्ता भी सुनिश्चित हो सके।
- 5- ऐसा निर्माण कार्य जिसमें रू० 1.00 करोड़ या उससे अधिक की धनराशि राजकीय अनुदान से वहन की जानी है, अनुदान प्राप्त करने वाली संबंधित संस्था द्वारा राजकीय निर्माण इकाई से ही कराया जायेगा।
- 6- निर्माण कार्य से भिन्न कार्यों यथा साज-सज्जा तथा फर्नीचर एवं अन्य bought out आइटम्स पर निर्माण एजेन्सी को कोई सेन्टेज देय न होगा।
- 7- उपरोक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू माने जायेंगे।
- 8- उपर्युक्त विषय पर पूर्व शासनादेश संख्या-ई-8-215/दस-1998 दिनांक 09 मार्च 1998 तदनुसार संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

57
(आर० रमणी)
मुख्य सचिव।

संख्या: ई-8-303 (1)/दस-2006-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०।
- 2-मुख्य अभियन्ता एवं निदेशक, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ०प्र०।
- 3-प्रबन्ध निदेशक, जल निगम उत्तर प्रदेश।
- 4-प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि०।
- 5-आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद।
- 6-प्रबन्ध निदेशक, समाज कल्याण निर्माण निगम लि०।
- 7-निदेशक, कान्स्ट्रक्शन एवं डिजायन सर्विसेज, जल निगम, लखनऊ।

आज्ञा से,

(महेश कुमार गुप्ता)
सचिव।